



File No: 11011-2/2017/RTI/KVS-(Admin-I)/3303

दिनांक 28.11.2018

Dr. Arvind Kumar
Kendriya Vidyalaya OEF Hazratpur
OEF Hazratpur, Distt. Firozabad
Pin- 283103

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम - 2005 के अंतर्गत वांछित सूचना।

महोदय,

यह उनके सूचना के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त प्रार्थना पत्र दिनांकित 27.11.2018 जो केविस की आईडी संख्या ID-52771 दिनांक 26.11.2018 के साथ को प्राप्त है, के संदर्भ में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्न प्रकार से प्रेषित है :-

S.N.	Points raised	Information forwarded
1	केन्द्रीय विद्यालय संगठन का कोई शिक्षक यदि अवकाश के दिन 6 घंटे 10 मिनट, विद्यालय में प्राचार्य के आदेश पर कार्य करता है तो उसे CCL मिलेगा अथवा नहीं ? आदेश कि प्रति उपलब्ध कराएँ।	The teacher is entitled for CCL subject to condition that not more than 02 CCL can be granted in a month and CCL can't be carried forward it will lapse after 1 month.
2	यदि कोई कर्मचारी कार्यमुक्त होकर दूसरे स्टेशन पर अवकाश के दिन में ड्यूटी करता है तो TA/DA/CCL प्रदान की जायेगी अथवा नहीं ? आदेश कि प्रति उपलब्ध कराएँ।	Either TA/DA or CCL and not both of them can be availed of.


नोट: यदि आप उपरोक्त सूचना/उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप विभागीय अपीलीय अधिकारी (प्रथम अपील) से अपील कर सकते हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

संयुक्त आयुक्त (कार्मिक)

केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मु.)

18, इंस्टीट्यूशनल एरिया, शाहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली 110016.

भवदीय,




(जी. वेनजी)

सहायक आयुक्त (प्रशा.)
एवं जन सूचना अधिकारी

प्रति:-

1. अनुभाग अधिकारी (पी.आई.सी.) केविस (मु0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु। आई डी. ID-52771 दिनांक 26.11.2018


सहायक आयुक्त (प्रशा.)
एवं जन सूचना अधिकारी